पत्रा0सं0–79–विधि–4(2)/अधि0नियमा0संशोधन–I/2016–17/ 1248 / 1718070 /वाणिज्य कर।
कार्यालयः कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
(विधि अनुभाग)
लखनऊः दिनाँक, 14 दिसम्बर, 2017

समस्त एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड–1, वाणिज्य कर,
समस्त एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0), वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक), (वि0अनु0शा0),
(कॉर्पोरेट सर्किल), (टैक्स ऑडिट), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः– शासन की विज्ञप्ति सं0– क0नि0–2–1845/ग्यारह 9(52)/ 17–उ0प्र0अधि0 –1– 2017–आदेश–(94)–2017 लखनऊ, दिनांक 06.12.2017 द्वारा लागू प्ररूप ई–वे बिल के सम्बंध में।

संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति सं0–क0नि0–2–1845/ग्यारह 9(52)/ 17– उ0प्र0अधि0 –1–2017–आदेश–(94)–2017 लखनऊ, दिनांक 06.12.2017 से कुल 20 वस्तुओं के राज्य के भीतर अथवा राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान तक पचास हजार रूपये या उससे अधिक मूल्य के निम्नलिखित कराधेय माल का परिवहन किये जाने की दशा में माल के परिवहन या उसका अभिवहन/भण्डारण किये जाने के दौरान माल के साथ रखे जाने हेतु ई–वे बिल–02 लागू किया गया है।

जी0एस0टी0 कर प्रणाली में वस्तुओं का वर्गीकरण एच0एस0एन0 प्रणाली पर आधारित है। एच0एस0एन0 कोड के प्रथम 2 क्रमांक उस चैप्टर को इंगित करते हैं, सम्बंधित वस्तु एच0एस0एन0 प्रणाली के जिस चैप्टर में आती है।

उक्त के दृष्टिगत शासन की विज्ञप्ति दिनांक 06.12.2017 से आच्छादित वस्तुओं के सम्बंध में स्थिति निम्नवत स्पष्ट की जाती हैः–

(1) उक्त संदर्भित विज्ञप्ति के क्रमांक (m) पर अंकित प्रविष्टि निम्नवत हैः–

(m) Khaini, Zarda, Surti, other manufactured tobacco and tobacco products,

तम्बाकू एवं निर्मित तम्बाकू विकल्प चैप्टर 24 के अन्तर्गत आते हैं, जिसके एच0एस0एन0 कोड 2403 पर निम्न प्रविष्टि अंकित हैः–

"2403- Other manufactured tabacco and manufactured tabacco substitutes; "homogenised" or "reconstituted" tobacco; tobacco extracts and essences [including biris]"

एच0एस0एन0 कोड 2403 की उक्त प्रविष्टि से यह स्पष्ट है कि शासन की विज्ञप्ति दिनांक 06.12.2017 के क्रमांक (m) पर खैनी, जर्दा एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के अन्तर्गत **बीड़ी** भी शामिल है तथा विज्ञप्ति दिनांक 06.12.2017 में अंकित अन्य वस्तुओं के साथ–साथ **बीड़ी** के परिवहन, अभिवहन/भण्डारण के समय भी ई–वे बिल 02 नियमानुसार लागू होगा।

(2) उक्त संदर्भित विज्ञप्ति दिनांक 06.12.2017 के क्रम सं0 (t) पर अंकित प्रविष्टि निम्नवत हैः–

(t) Wood and Timber

वुड चैप्टर 44 में वर्गीकृत है। चैप्टर 44 में समाहित वस्तुएँ निम्नवत हैः–

Fuel wood, wood in chips or particle; sawdust, wood waste and scrap;
Wood charcoal (Including shell or nut charcoal);
Wood in the rough;
Wood wool; wood flour;

Railways or tramway sleepers (crossties) of wood;
Wood sawn or chipped lenghtwise;
Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled);
Plywood, veneered panel and similar laminated wood, Densified wood;

उल्लेखनीय यह है कि ई–वे बिल 02 **केवल कराधेय वस्तुओं** के परिवहन, अभिवहन/भण्डारण हेतु लागू किया गया है **तथा Fuel wood, wood in chips or particle; sawdust, wood waste and scrap; एवं Wood charcoal (Including shell or nut charcoal) जी0एस0टी0 के अन्तर्गत करमुक्त हैं।** अतः Fuel wood, wood in chips or particle; sawdust, wood waste and scrap; एवं Wood charcoal (Including shell or nut charcoal) को छोड़ कर उक्त संदर्भित विज्ञप्ति में अंकित अन्य वस्तुओं के साथ–साथ चैप्टर 44 की शेष सभी वस्तुओं, जिनमें Plywood, veneered panel and similar laminated wood, Densified wood; भी शामिल हैं, के परिवहन, अभिवहन/भण्डारण के दौरान ई–वे बिल 02 नियमानुसार लागू होगा।

(3) ई–वे बिल 02 सचल दल अनुभाग द्वारा जारी परिपत्र सं0– स0द0जी0एस0टी0/माल परिवहन/17–18/1102/1718024/वाणिज्य कर, दिनांक 09.08.2017 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट http://comtax.up.nic.in से डाउनलोड किया जायेगा।

आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार ई–वे बिल व्यवस्था का सभी स्टेकहोल्डर्स यथा व्यापारियों, व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों, अधिवक्ता संघों, ट्रांसपोर्टर्स के मध्य व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए उक्त प्रावधानों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करायें ।

14/12/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।